

36



IN THE HON'BLE REVENUE BOARD AT GWALIOR

Appeal No. /2017

PBA/अपील/ग्वालियर/आरू अरू/2017/6263

Appellant : Gwalior Alcobrew Pvt. Ltd (*formerly Gwalior Distillers Limited.*), Rairu Farm, Agra Mumbai Road Gwalior 474010, through its General Manager Mr. P.V. Muralidharan S/o Late Shri V.V.S. Nambishan R/o Rairu Farm, Gwalior (M.P.)

दिनांक 21-12-17 को
से काशीय शाही कागज
द्वारा प्रस्तुत/

बदला
21-12-17

चं दि० 3-1-18

Signature

VERSUS

Respondent : Excise Commissioner, Motimahal, Gwalior

APPEAL U/S 62 (2) (C) OF MADHYA PRADESH EXCISE ACT, 1915 AGAINST ORDER DATED 30.07.2016 (ANNEXURE - A) PASSED BY LEARNED EXCISE COMMISSIONER WHEREBY THE PRESENT APPELLANT HAS BEEN DIRECTED TO PAY PENALTY OF RS. 18,000/- FOR NON KEEPING MINIMUM STOCK.

5049
No 19-12-17
D.V.

Most humbly and respectfully the appellant submit as *Signature*


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/ग्वालियर/आ0अ0/17/6263

स्थान दिनांक	तथा	कार्यवाही तथा आदेश	फसकारी एवं अग्निमापकों आदि के हस्ताक्षर
3.1.2018		<p>उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 30-7-16 के विरुद्ध दिनांक 21-12-17 को पेश की गई है, जो प्रथमदृष्टया ही अवधि बाह्य है । विलम्ब के संबंध में उनके द्वारा यह कहा गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 30-7-2016 की सूचना उन्हें 11-12-17 को दी गई थी, परन्तु अपने उक्त तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में यह अपील समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	




अध्यक्ष